अपीलवाद सं0–03/2016
कृषि विभाग, बिहार, पटना

विषयः– मे0 वैशाली बायो मैन्योर इंडस्ट्रीज, वैशाली द्वारा वैद्यता तिथि के अंदर अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु आवेदन समर्पित नहीं किये जाने के पश्चात् प्रधान सचिव के समक्ष अपील।

तिथि	अपीलीय प्राधिकार का आदेश एवं हस्ताक्षर
16.09.2016 29.09.2016	मे0 वैशाली बायो मैन्योर इंडस्ट्रीज, प्रो0–श्री राजकुमार सिंह, ग्राम–रसुलपूर पट्टी, पो0–हॉसीकेवल, प्रखंड–भगवानपुर, जिला–वैशाली के वर्मी कम्पोस्ट विनिर्माण अनुज्ञप्ति सं0–266, दिनांक–02.05.2013 एवं विपणन अनुज्ञप्ति सं0–04, दिनांक–14.11.2013 वैद्यता तिथि–01.05.2016 के नवीकरण हेतु वैद्यता तिथि तक आवेदन समर्पित नहीं किया गया तथा वैद्यता तिथि के एक माह तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन समर्पित नहीं किया गया, जिस कारण से कृषि निदेशक, बिहार, पटना का पत्रांक–3181, दिनांक–28.07.2016 द्वारा इनके विनिर्माण एवं विपणन अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। तत्पश्चात् मे0 वैशाली बायो मैन्योर इंडस्ट्रीज, वैशाली द्वारा प्रधान सचिव, कृषि के समक्ष अपील दायर किया गया है। मे0 वैशाली बायो मैन्योर इंडस्ट्रीज, प्रो0–श्री राजकुमार सिंह, ग्राम–रसुलपूर पट्टी, पो0–हॉसीकेवल, प्रखंड–भगवानपुर, जिला–वैशाली ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि वाहन दुर्घटना हो जाने के कारण वैद्यता तिथि 01.05.2016 को नवीकरण हेतु आवेदन समर्पित करने हेतु नहीं पहुँच सका। कृषि निदेशालय के प्रस्तुतिकरणे पदाधिकारी, श्री अशोक प्रसाद, संयुक्त निदेशक (रसायन) कम्पोस्ट एवं बायोगैस, बिहार, पटना–सह–वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जैविक प्रोत्साहन कोषांग द्वारा अपना पक्ष रखते हुए बताया गया कि मे0 वैशाली बायो मैन्योर इंडस्ट्रीज, वैशाली के द्वारा वर्मी कम्पोस्ट विनिर्माण एवं विपणन प्राधिकार पत्र के नवीकरण हेतु आवेदन वैद्यता तिथि (01.05.2016) तक आवेदन समर्पित नहीं किया गया। उद्यमी द्वारा वैद्यता तिथि (01.05.2016) के एक माह तक विलंब शुल्क के साथ भी आवेदन समर्पित नहीं किया गया। उर्वरक नियंत्रण आदेश–1985 के खंड–11 (3) के अनुसार कोई भी प्रतिष्ठान वैद्यता तिथि समाप्ति के एक महीने के अंदर विलंब शुल्क के साथ आवेदन समर्पित करती है तो उसके आवेदन पर विचार किया जायेगा एवं 11 (5) के अनुसार कोई भी प्रतिष्ठान वैद्यता तिथि के एक महीने तक आवेदन समर्पित नहीं करता है तो उर्वरक नियंत्रण आदेश–1985 के तहत् स्वतः Expired समझा जायेगा। तत्पश्चात् प्रतिष्ठान द्वारा वर्मी कम्पोस्ट विनिर्माण एवं विपणन प्राधिकार पत्र के नवीकरण हेतु समय पर आवेदन नहीं जमा किया जाना भूल स्वीकार किया है साथ ही विलम्ब शुल्क के साथ कोषागार चालान जमा करने की बात कही गई है। साथ ही प्रतिष्ठान द्वारा समय पर नवीकरण हेतु आवेदन समर्पित नहीं किये जाने की गलती को क्षमा करते हुए विनिर्माण एवं विपणन अनुज्ञप्ति को नवीकरण का आदेश देने का अनुरोध किया गया है। आदेश– मे0 वैशाली बायो मैन्योर इंडस्ट्रीज, प्रो0–श्री राजकुमार सिंह, ग्राम–रसुलपूर पट्टी, पो0–हॉसीकेवल, प्रखंड–भगवानपुर, जिला–वैशाली पूराने वर्मी कम्पोस्ट व्यवसायी हैं। इन्हें वर्मी कम्पोस्ट अनुज्ञप्ति नवीकरण के संबंध में सारी जानकारी होनी चाहिए। इनके द्वारा किये गये क्षमा याचना को स्वीकार किया जाता है। साथ ही चेतावनी दिया जाता है कि इसकी पुर्नावृति भविष्य में नहीं किया जाय। उक्त वर्मी कम्पोस्ट विनिर्माण एवं विपणन अनुज्ञप्ति को नवीकरण करने का आदेश दिया जाता है। ह0/– (सुधीर कुमार) सचिव, कृषि, बिहार, पटना

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 4227 / कृ0, पटना, दिनांक 05-10-2016

प्रतिलिपिः– मे0 वैशाली बायो मैन्योर इंडस्ट्रीज, प्रो0–श्री राजकुमार सिंह, ग्राम–रसुलपूर पट्टी, पो0–हाँसीकेवल, प्रखंड–भगवानपुर, जिला–वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।

(अशोक प्रसाद)
वरीय प्रभारी पदाधिकारी,
जैविक प्रोत्साहन कोषांग,
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 4227 / कृ0, पटना, दिनांक 05-10-2016

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) / सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक प्रसाद)
वरीय प्रभारी पदाधिकारी,
जैविक प्रोत्साहन कोषांग,
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 4227 / कृ0, पटना, दिनांक 05-10-2016

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(अशोक प्रसाद)
वरीय प्रभारी पदाधिकारी,
जैविक प्रोत्साहन कोषांग,
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना